

लखनऊ में धारा 144 लागू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर लखनऊ में 17 मई, 2024 तक [दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144](#) लागू कर दी है।

मुख्य बटु:

- उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक सात चरणों में आयोजत कतुा जाएगा।
- [भारतीय नरुवाचन आयोग](#) द्वारा घोषतु चुनाव कार्यक्रम, राज्य के पश्चमी कषेत्र में गनुना बेल्ट से शुरू होगा और पूरवांचल में समाप्त होगा जसु अकसर यूपी का चावल का कटुारा कहा जाता है।
 - वुटुओं की गनुतुी 4 जून, 2024 को होने वाली है।

CrPC की धारा 144

- यह कानून भारत में कसुी भी राज्य या केंद्रशासतु प्रदेश के मजसुट्रेट को एक नरुदषुट कषेत्र में चार या अधकल लुगुओं के इकटुठा होने पर रोक लगाने का आदेश पारतु करने का अधकल देता है।
- यह उन उपद्रव या कसुी घटना के संभावतु खतरे के मामलुओं में लगाया जाता है जसुमें मानव जीवन को परेशानी या संपतुतु को कषतुतु पहुँचाने की संभावना होती है।
- यह आदेश कसुी वशुष वुयकुतु या आम जनता के खललफ पारतु कतुा जा सकतुा है।
- धारा 144 की वशुषतुाएँ:
 - यह दतुा गए कषेत्राधकलर में कसुी भी प्रकार के हथुयलर रखने या ले जाने पर प्रतुबुंध लगाता है।
 - इस तरह के कृतुय के लतुा अधकलतम दंड तलन वर्ष है।
 - इस धारा के अंतुर्गत पारतु आदेश के अनुसार, जनता की आवाजाही नही होगी और सभुी शकुषण संसुथान बंद रहेंगे।
 - साथ ही इस आदेश के संचालन की अवधुा के दुरान कसुी भी प्रकार की जनसभा या रैलतुल करुने पर पूरण रोक होती है।
 - कानून प्रवरुतन एजेंसतुलु द्वारा कसुी गैर-कानूनी सभा को भंग न करुना एक दंडनीय अपराध माना जाता है।
 - यह अधकलरतुलु को कषेत्र में इंटरनेट एकसेस को ब्लुक करुने का अधकलर भी देता है।
 - धारा 144 का अंतुतु उददेशु उन कषेत्रुओं में शांतु और वुयवसुथा बनाए रखना है जहाँ दैनकल गतवधुतुलु को बाधतु करुने से परेशानी हो सकतुी है।